रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-24062021-227864
CG-WB-E-24062021-227864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2345] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2021/आषाढ़ 3, 1943
No. 2345] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2021/ASHADHA 3, 1943

## वस्त्र मंत्रालय

## (पटसन आयुक्त का कार्यालय )

## अधिसूचना

कोलकाता, 18 जून, 2021

**का.आ. 2523(अ).—**जूट एवं जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 के खंड 6 (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मोलोय चन्दन चक्रवर्ती, जुट आयुक्त, एततद्वारा सभी डीलरों/व्यापारियों/एजेंसियों/स्टोक्किस्टों आदि जो एक जुट वर्ष (जुलाई – जून) में कच्चे जुट की 500 किलोग्राम या अधिक (कच्चा और पक्का, बेल्ड और अनबेल्ड कच्चा जुट) का व्यापार करते हैं, को निर्देश देता हूँ कि इस आदेश प्रकाशान की तारीख से 30 दिनों के भीतर कार्यालय की वेबसाइट [jutecomm.gov.in] एवं जुट स्मार्ट पोर्टल पर संलग्न प्रोफॉर्मा में पंजीकरण के लिए जुट आयुक्त के कार्यालय में आवेदन करेंगे । आवेदन जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया इस कार्यालय की वेबसाइट [jutecomm.gov.in] पर उपलब्ध है । ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात, हस्ताक्षरित/मुद्रांकित प्रिंट की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में जमा किया जाना है ।

2. सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के उपरांत यदि विवरण सही क्रम में पाये जाते हैं तो संबन्धित डीलरों/व्यापारियों/एजेंसियों/स्टोक्किस्टों को पंजीकरण प्रमाणपत्र भेजा जाएगा । प्रदत्त प्रमाणपत्र की वैधता विशिष्ट अवधि के लिए होगी जिसे ई॰ सी॰ अधिनियम 1955 के खंड 7 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए यथवा वांछित डाटा/रेकॉर्ड के समय पर प्रेषित नहीं किए जाने/मिथ्याकरण/ या अन्य किसी भी तरह के असहयोग करने पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

3. यदि वे इन निर्देशों के अनुपालन में विफल रहते हैं अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना की कोई भी सामग्री विशेष असत्य पायी जाती है तो वे पूर्वोक्त जूट एवं जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश के धारा 11 के आवश्यक वस्तु अधिनयम 1955 के खंड 7 के अनुसार दंडनीय होंगे जिसमें कारावास एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान है तथा उन्हें कच्चे जूट के व्यापार करने की

अनुमति नहीं होगी । इसके अलावे सही जानकारी प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप जूट एवं जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2016 के खंड 9 के तहत कच्चे जूट स्टॉक की तलसी एवं जब्ती की कार्रवाई होगी।

4. नियत समय में तय की जाने वाली एक निश्चित तारीख तक यदि कोई व्यापारी/डीलर/ एजेंसी/स्टोक्किस्ट पंजीकरण नहीं करता है तो उसके बाद किसी भी व्यापारी/डीलर/एजेंसी/स्टोक्किस्ट को कच्चे जूट के व्यापार/भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह कानूनन निषिद्ध एवं दंडनीय होगा ।

[फा. सं. जूट(विपणन)/160/80-IV]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

**MINISTRY OF TEXTILES**

**(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)**

**NOTIFICATION**

Kolkata, the 18th June, 2021

**S.O. 2523(E).—**In exercise of powers conferred under Clause 6(i) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakrabortty, Jute Commissioner, hereby direct all dealers / traders / agencies / stokists etc. trading with 500 kgs or more quantity of raw jute in a jute year (July-June) (kutcha and pucca, baled and unbaled raw jute) to apply to the office of the Jute Commissioner for registration within a period of 30 days from the date of publication of this Order in the proforma in this office website [jutecomm.gov.in] & 'JUTE SMART' portal. The application is to be submitted online through 'JUTE SMART' portal of this office. The detailed procedure of submission of the application is provided in this office Website namely, [jutecomm.gov.in]. After online submission, hardcopy signed/stamped print out to be submitted to this office by post or in person.

2. On successful registration, certificate of registration will be sent to the respective traders/agencies/stockists/ dealers if the details are found in order. Such certificate will have validity for specific duration & also can be revoked anytime for commission of any offence under Section 7 of the E.C.Act 1955 or for non-submission of data/records/falsification/non-cooperation in any other form.

3. If they fail to comply with these directions or if they submit any information which is found to be false in any material particular, they shall be punishable under Clause 11 of the aforesaid Jute and Jute Textiles Control Order read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955, which provides for both imprisonment and fine and they shall not be allowed to trade raw jute. Further, failure in providing correct information will result in searching and seizing of raw jute stock under Clause 9 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016.

4. There shall be a fixed date, to be decided in due course, beyond which no trading/stocking of raw jute will be allowed by any trader/dealer/agency or stockists etc & the same will be prohibited & punishable by law for such traders / dealers / agency / stockists who do not register by that date.

[F. No. Jute(Mktg)/160/80-IV]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.06.24 22:05:49 +05'30'